

Innovation Management Directorate
नवाचार प्रबंधन निदेशालय
Council of Scientific and Industrial Research
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
2, Rafi Marg, Anusandhan Bhawan, New Delhi-110001
2, रफी मार्ग, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली-110001

OFFICE MEMORANDUM / कार्यालय ज्ञापन

सं. 17/1/Misc/2021-IMD

जुलाई 27, 2021

विषय: सीएसआईआर मुख्यालय के लिए स्थायी प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता समिति (एसईसी) और वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी) का गठन के संदर्भ में

Constitution of Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC) and Scientific Investigation Board (SIB) for CSIR Headquarters reg.

1. अनुसंधान और शासन में नैतिकता के लिए सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए, महानिदेशक, सीएसआईआर ने सी एस आई आर मुख्यालय के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन नीचे दी गयी शर्तों के साथ अनुसार अनुमोदित किया है:

In pursuance of the CSIR Guidelines for Ethics in Research and Governance, Director General, CSIR has been pleased to approve the constitution of the following committees for CSIR Headquarters with the suggested Terms of Reference as given below:

Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC) प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता समिति (एसईसी)		
1.	Dr Viswajanani J. Sattigeri, Head, CSIR-TKDL डॉ विश्वजननी जे. सत्तीगेरी, प्रमुख, सीएसआईआर-टीकेडीएल	Chairperson अध्यक्ष
2.	Dr G. Mahesh, CSIR-SCDD डॉ जी महेश, सीएसआईआर-एससीडीडी	Ethics/Safety Officer नैतिकता/सुरक्षा अधिकारी
3.	Dr Debi Prasad Bhukya, CSIR-HRDG डॉ देवी प्रसाद भुक्का, सीएसआईआर-एचआरडीजी	Member सदस्य
4.	Ms Deepti Sharma Dullu, CSIR-IMD सुश्री दीप्ति शर्मा दुल्लू, सीएसआईआर-आईएमडी	Member सदस्य
5.	Dr Vandana Bisht, CSIR-IMD डॉ वंदना बिष्ट, सीएसआईआर-आईएमडी	Member Secretary सदस्य सचिव
Scientific Investigation Board (SIB) वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी)		
1.	Dr Anjan Ray, Director, CSIR-IIP डॉ अंजन रे, निदेशक, सीएसआईआर-आईआईपी	Chairperson अध्यक्ष
2.	Dr Geetha Vani Rayasam, Head, CSIR-SCDD डॉ गीता वाणी रायसम, प्रमुख, सीएसआईआर-एससीडीडी	Member सदस्य
3.	DS/Sr DS (Central Office), CSIR Hq उप सचिव / वरिष्ठ उप सचिव (केंद्रीय कार्यालय), सीएसआईआर मुख्यालय	Member सदस्य
4.	DS/Sr DS (Vigilance), CSIR Hq उप सचिव / वरिष्ठ उप सचिव, सतर्कता विभाग	Member सदस्य
5.	Shri R. P. Singh, Head IMD श्री आर.पी. सिंह, प्रमुख आईएमडी	Member Secretary सदस्य सचिव

3. इन समितियों में निम्नलिखित सुझाये गए विचारार्थ विषय होंगे:
The terms of reference for the Committees are:

Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC)
स्थायी प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता समिति (एसईसी)

- i. Any scientific/technical staff or a research worker of CSIR Hq could approach SEC with a written complaint/grievance related to unethical behaviour and/or practices at CSIR Hq;
सीएसआईआर मुख्यालय का कोई भी वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारी या शोध कर्मचारी अनैतिक व्यवहार और/या प्रथाओं से संबंधित लिखित शिकायत के साथ सीएसआईआर मुख्यालय में एसईसी से संपर्क कर सकता है;
- ii. The SEC will undertake regular workshops on various aspects, such as good laboratory practices, safety issues, publication and plagiarism, gender sensitivity, data analysis and statistical procedures and importantly training in communication;
एसईसी विभिन्न पहलुओं पर नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जैसे कि अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं, सुरक्षा मुद्दों, प्रकाशन और साहित्यिक चोरी, लिंग संवेदनशीलता, डेटा विश्लेषण और सांख्यिकीय प्रक्रियाएं और संचार में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण;
- iii. The SEC shall advice and guide the DG, CSIR on all matters pertaining to misconduct in scientific practices and research ethics;
एसईसी वैज्ञानिक प्रथाओं और अनुसंधान नैतिकता में कदाचार से संबंधित सभी मामलों पर डीजी, सीएसआईआर को सलाह और मार्गदर्शन करेगा;
- iv. The SEC, on the recommendation of DG, CSIR, would present to the designated Ombudsman any appeal received from any scientific/technical staff or a research worker, who is not satisfied with the recommendation of the SIB and the punishment/decision based on same. SEC would provide the requisite necessary support to the Ombudsman in this regard.
एसईसी, डीजी, सीएसआईआर की सिफारिश पर, नामित लोकपाल को किसी भी वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारी या एक शोध कार्यकर्ता से प्राप्त किसी भी अपील को प्रस्तुत करेगा, जो एसआईबी की सिफारिश एवं निर्णय से असंतुष्ट है। एसईसी इस संबंध में लोकपाल को अपेक्षित आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- v. The SEC shall respond to any external parties (on behalf of CSIR) for compliance with ethical standards in respect of publications made by staff; and
एसईसी स्टाफ द्वारा किए गए प्रकाशनों के संबंध में नैतिक मानकों के अनुपालन के लिए किसी भी बाहरी पक्ष (सीएसआईआर की ओर से) को जवाब देगा; तथा
- vi. The SEC shall work on any other matter as assigned by the DG, CSIR.
एसईसी डीजी, सीएसआईआर द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामले पर भी काम करेगा।

Scientific Investigation Board (SIB)
वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी)

- i. The matters of scientific misconducts at CSIR Headquarters and those referred to by DG, CSIR would be investigated by SIB;
सीएसआईआर मुख्यालय में वैज्ञानिक कदाचार और डीजी, सीएसआईआर द्वारा संदर्भित मामलों की जांच एसआईबी द्वारा की जाएगी;

- ii. The existing SIB would be supplemented with expertise of two external experts which will vary on case to case basis so as to investigate the matter, fact finding and recommending the punitive action;
मौजूदा एसआईबी को दो बाहरी विशेषज्ञों की विशेषज्ञता के साथ पूरक किया जाएगा जो मामले के आधार पर अलग-अलग होंगे ताकि मामले की जांच, तथ्य खोज और दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिश की जा सके;
- iii. The SIB will do due diligence including interaction with the concerned scientific staff, examine the records and suggest the suitable punitive action commensurate with the offence done as per issued guidelines; and एसआईबी संबंधित वैज्ञानिक कर्मचारियों के साथ बातचीत सहित उचित कार्य करेगा, रिकॉर्ड की जांच करेगा और जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए अपराध के अनुरूप उपयुक्त दंडात्मक कार्यवाही का सुझाव देगा; तथा
- iv. The report of the SIB would be shared with the accused while implementing the punitive action.
दंडात्मक कार्रवाई को लागू करते हुए एसआईबी की रिपोर्ट आरोपी के साथ साझा की जाएगी।


27/07/21

(राजेंद्र प्रसाद सिंह)
मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, आईएमडी

प्रतिलिपि Copy to

1. सभी उपरिलिखित सदस्यों को; To all Members of the Committee as above;
2. निजी सचिव, महानिदेशक, सीएसआईआर; संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर, वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर; PS to DG, CSIR, JS (Admn), CSIR, FA, CSIR;
3. सी एस आई आर हैडक्वार्टर- सभी विभागों के प्रमुख; HODs of CSIR Headquarters;
4. सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक; Director of all CSIR Laboratories/Institutes;
5. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी, सी एस आई आर प्रयोगशालाएं; COA/AO of CSIR Laboratories;
6. केंद्रीय सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर; CVO, CSIR;
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर; LA, CSIR;
8. कार्यालय ज्ञापन अपलोड करने के लिए आईटी प्रभाग; IT Division for uploading the OM on CSIR website;
9. कार्यालय प्रति; Office Copy